

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dcc/>
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ.7(4)(162)/प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/447-450 दिनांक: 5 अप्रैल, 2022

प्राचार्य,
सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर विषयों में 20 से कम प्रवेशित विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम संचालित करने के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत (SFS Scheme) संचालित पाठ्यक्रम में 20 से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण प्रवेशनीति के बिन्दु संख्या 3.2 की अनुपालना में मेरिट का प्रकाशन किया गया था। मेरिट प्रकाशन के पश्चात् फीस जमा कराने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम थी। स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम महाविद्यालय विकास समिति द्वारा संचालित किये जाते हैं तथा उक्त कोर्सेज हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जाता है।

अतः महाविद्यालय विकास समिति को 20 विद्यार्थियों से कम पर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


भवदीय,



(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)